2018 का विधेयक संख्यांक 146

[दि गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (कम्पेनसेशन टू स्टेट्स) अमेंडमेंट बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 7 का संशोधन ।

2. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम, कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "कैंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "कैंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 15

धारा 10 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय पर, ऐसी रकम का, जो निधि में शेष बची अनुपयोजित है, पचास प्रतिशत, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, केंद्र के भाग के रूप में भारत की संचित निधि में अंतरित हो जाएगा और बकाया पचास प्रतिशत का वितरण राज्यों के बीच धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में किया जाएगा :

परंतु किन्हीं दो मास की अवधि के लिए धारा 7 के अधीन निर्मुक्त किए जाने वाले प्रतिकर की आवश्यकता के लिए निधि में संगृहीत रकम में कमी की दशा में, उसका पचास प्रतिशत, किन्तु जो केन्द्र और राज्यों को अंतरित ऐसी कुल रकम से जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अधिक न हो, केंद्र से और शेष पचास प्रतिशत राज्यों से धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में वसूल किया जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (अधिनियम) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसरण में माल और सेवा कर के क्रियान्वयन के मद्दे उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर का उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

2. अधिनियम की धारा 10 केन्द्र और राज्यों के बीच संक्रमण अवधि के अंत में प्रतिकर निधि में शेष बची अनुपयोजित रकम के वितरण के लिए उपबंध करती है । चूंकि उक्त धारा किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय पर प्रतिकर निधि में शेष बची रकम के वितरण के लिए उपबंध नहीं करती है, अतः माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

3. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018 निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :--

(i) अधिनियम की धारा 10 में एक नई उपधारा (3क) का अंतःस्थापन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिषद् की सिफारिशों पर, प्रतिकर निधि में शेष बची अनुपयोजित कोई रकम, किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय पर केन्द्र और राज्यों के बीच वितरित की जा सकेगी; और

(ii) यह उपबंध करना कि किन्हीं दो मास की अवधि के लिए धारा 7 के अधीन निर्मुक्त किए जाने वाले प्रतिकर की आवश्यकता के लिए निधि में संगृहीत रकम में कमी की दशा में, उसका पचास प्रतिशत, किन्तु जो केन्द्र और राज्यों को अंतरित ऐसी कुल रकम से, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अधिक न हो, केन्द्र से और शेष पचास प्रतिशत राज्यों से अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में वसूल किया जाएगा ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली ;
6 अगस्त, 2018

पीयूष गोयल

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय पर केन्द्र और राज्यों के बीच प्रतिकर निधि में शेष बची अनुपयोजित रकम के वितरण के लिए उपबंध करने के लिए है।

2. विधेयक में भारत की संचित निधि पर कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं है।

उपाबंध

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 15) से उद्धरण

* * * * * *

7. (1) * * * * * प्रतिकर की संगणना और उसका जारी किया जाना ।

(4) संक्रमण अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए किसी वर्ष में प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर राजस्व की हानि की संगणना उक्त अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :--

* * * * * *

(ख) किसी राज्य द्वारा संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक संगृहीत वास्तविक राजस्व निम्नलिखित होगा—

* * * * * *

(ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक द्वारा यथा प्रमाणित, उस राज्य के लिए प्रभाजित एकीकृत माल और सेवा कर होगा ; और

* * * * * *

MGIPMRND—1407LS(CRC)—6-8-2018.